



2026:AHC-LKO:39868

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 3707 वर्ष 2026

महतिया @अब्दुल अज़ीज़ @चाचू

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार त्रिपाठी, नीतू वर्मा

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

### न्यायालय संख्या - 12

#### माननीय न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 96/2026, धारा 3(1) उ० प्र० गिरहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन- तलगांव, जिला सीतापुर में जमानत के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में आवेदक के खिलाफ केवल एक मामला दर्ज है और उस मामले में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जमानत का आदेश जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे के अनुलग्नक-3 के रूप में अभिलेख में मौजूद

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले के अलावा, आवेदक का 17 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दायर हलफनामे के प्रस्तर संख्या 8 में दिया गया है। आवेदक 10.2.2026 से जेल में है।

4. यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश गिरहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। यह भी निवेदन किया है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आवेदक 10.2.2026 से जेल में है; उसे गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामले में जमानत पर रिहा किया गया है और वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक अन्य मामलों में भी जमानत पर है, जिसका जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है; मामले की गुण-दोष में जाए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूँ।

7. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त मामले में अभियोक्ता महातिया उर्फ अब्दुल अजीज उर्फ चाचू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो अधीनस्थ न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।
- (vi) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की धारा 209 के तहत विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे की गुण-दोष पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।

**जून 2, 2026**

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कन्हैया

(न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद)

Translated Version. Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।